रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240494 CG-DL-E-23112022-240494

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5203] No. 5203] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/ अग्रहायण 1, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/ AGRAHAYANA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

का.आ. 5432(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-206 के (चौड़ाई/चार-लेन, आदि) रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

7762 GI/2022 (1)

अनुसूची कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH206 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	सहायक आयुक्त शिमोगा अनुमंडल शिमोगा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH206 के कि.मी. 220 से 238.1 तक	कर्नाटक	शिवमोग्गा	शिवमोग्गा	1 कोनहोसुरु 2 थुप्पुरु 3 सिन्नवास 4 चोरडी 5 कुम्सि 6 गुडुनकोप्पा 7 चन्नादेवन कोप्पा 8 होसाकोटे 9 अयानुरु 10 दोडुादानवंध 11 कोहली 12 येलावल्ली 13 वीरगरण बायराकोप्पा 14 मुडेनकोप्पा 15 थेवरकोप्पा	
2	असिस्टेंट कमिश्रर सागर सब डिविजन सागर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH206 के कि.मी. 238.1 से 259 तक	कर्नाटक	शिवमोग्गा	सागर	1 मालंदुर 2 यादहल्ली 3 अचपुरा 4 गिलालुगुंडी 5 बायरास	

[फा. सं. RW/KNT-NH-206/km220to259]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2022

S.O. 5432(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for (widening / four - laning, etc.), maintenace, management and operation of the National Highway No NH-206 in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH206 in the State of KARNATAKA.

Sl. No.	CALA Stretch		State	District Taluk/Mandal		Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Assistant Commissioner Shimoga Sub Division Shimoga	220KM. To 238.1 KM.	KARNATAKA	SHIVAMOGGA	Shivamogga	1Konehosuru2Thuppuru3Sannivasa4Choradi5Kumsi6Guddenakoppa7Channadevana Koppa8Hosakote9Ayanuru10Doddadanavandha11Kohalli12Yelavalli13Veeragarana Byrakoppa14Muddenakoppa15Thevarakoppa
2	Assistant Commissioner Sagar Sub Division Sagar	238.1KM. To 259KM.	KARNATAKA	SHIVAMOGGA	Sagar	1 Malanduru 2 Yadehalli

4	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

			3 Achapura 4 Gilalugundi
			5 Byra

[F. No. RW/KNT-NH-206/km220to259]
RAJESH GUPTA, Director